

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेलjacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 9079

दिनांक:- 06-11-2025

शुद्धि पत्र (Corrigendum)

विभागीय आदेश संख्या:- 424/2025-26, 425/2025-26, 426/2025-26 एवं 427/2025-26 दिनांक 03.11.2025 के पैरा संख्या 01 में अंकित "वेतन नियमितिकरण/स्थायीकरण" के स्थान पर "वेतन नियमितिकरण" पढा जावें तथा आदेश में वर्णित तालिका के कॉलम 10 को विलोपित किया जाता है।

आदेश का शेष भाग पूर्वानुसार यथावत रहेगा।


(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 9079

दिनांक:- 06-11-2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)